संख्या–1116/पॉच–5/2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ; दिनांक:17मई, 2020

विषय–कोविड–19 हेतु गठित ग्राम/मोहल्ला निगरानी समिति के कार्य एवं दायित्व के लिए दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग–5 के पत्र संख्या–1031/पॉच–5–2020, दिनॉक 01.05.2020 में प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड–19 के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मोहल्ला/ग्राम निगरानी समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे प्रभावी सामुदायिक सर्विलान्स, सामुदायिक जागरूकता, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित किया जा सके तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचाया जा सके। निगरानी समितियों का गठन जनपदों के द्वारा किया जा चुका है। यह आावश्यक है कि इनके कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण किया जाए तकि यह समितियॉ सक्रिय रहकर संक्रमण के नियंत्रण में अपना पूरा योगदान प्रदान करें। उक्त हेतु समितियों के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नवत् हैः–

मोहल्ला/ग्राम निगरानी समिति के कार्य एवं दायित्व :–

1. ग्राम प्रधानों/सभासदों द्वारा संबन्धित ग्राम व मोहल्लों में ग्राम/मोहल्ला निगरानी समिति में सदस्यों को सम्मिलित कर पूर्ण किया जाय।
2. समिति के समस्त सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूची सभी ग्राम प्रधानों एवं सभासदों के पास उपलब्ध होनी चाहिए।
3. ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा ग्राम/मोहल्ला निगरानी समिति के सभी सदस्यों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए उनके कार्यो तथा उत्तरदायित्वों के बारे में अवगत कराना।
4. निगरानी समिति द्वारा कोविड–19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/निर्णयों से सामान्य जनमानस को भिज्ञ कराना तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. मोहल्ला/गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के आने की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को प्रदान करना।
6. प्रभावित क्षेत्र में घर–घर जाकर सम्पर्कों की खोज करने में तथा सर्विलान्स टीम की सहायता करना।
7. क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों जैसे उच्च जोखिम वर्ग (high risk group) वाले सदस्य पर विशेष ध्यान देना।

Scanned with CamScanner

8. बिना स्क्रीनिंग के सीधे ही अन्य राज्यों/जनपदों से वापस आने वाले प्रवासियों का पंजीकरण एवं उनकी स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराना।
9. प्रवासियों और उनके परिवार द्वारा निर्धारित अवधि तक होम–क्वारेन्टाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा होम–क्वारेन्टाइन हेतु यथासंभव पृथक कमरे का प्रयोग सुनिश्चित कराना।
10. क्वारेन्टाइन किए गए प्रवासी के घर से केवल एक व्यक्ति को आवश्यक सामग्रियों को लेने हेतु घर से बाहर निकलने की अनुमति प्रदान करना। बाहर निकलते समय इस व्यक्ति द्वारा समस्त आवश्यक सावधानियों अपनाई जाएंगी।
11. निगरानी समिति द्वारा परिवार से फोन पर नियमित सम्पर्क करके उनको क्वारेन्टाइन अवधि को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करना, जिससे परिवार स्वयं को अकेला एवं असहाय न समझे तथा पड़ोसियों से भी उस परिवार का सहयोग करने हेतु जागृत करना।
12. प्रवासियों के घरों पर होम–क्वारेन्टाइन फ्लायर/पोस्टर का लगाया जाना सुनिश्चित करना।
13. क्वॉरेन्टाइन किए गए परिवारों तक सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
14. सार्वजनिक हैण्ड–पम्प में प्राथमिकता के आधार पर साबुन की व्यवस्था करना।
15. क्वॉरेन्टाइन की अवधि में इन प्रवासियों और उनके परिवारों को संबल प्रदान करना तथा उनसे किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।
16. होम क्वॉरेन्टाइन किये गए प्रवासी मजदूर अथवा अन्य जरूरतमंद लोग जैसे वृद्ध, अशक्त, गर्भवती महिला, गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जिसकी देखभाल के लिए कोई न हो अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके घरों में क्वारेन्टाइन किए जाने की पृथक जगह न हो, ऐसे लोगों के लिए ग्राम–पंचायत में अलग से क्वारेन्टाइन, राशन तथा साबुन आदि आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर उनकी देखभाल का उचित प्रबंध करना।
17. क्वॉरेन्टाइन किए गए व्यक्तियों सहित क्षेत्र की आम जनता को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने एवं इसका सक्रिय प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना।
18. होम–क्वॉरेन्टाइन के नियमों का उल्लंघन करने की सूचना जिला प्रशासन को प्रदान करना।
19. आम जनमानस को गमछा/अंगोछा/दुपट्टा/घर पर निर्मित मॉस्क का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना।
20. आम जनमानस में नियमित रूप से हाथों को धोने की आदत डालने हेतु प्रेरित करना।
21. दो व्यक्तियों के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखने का संदेश प्रसारित करना।
22. सामाजिक/धार्मिक/शादी समारोहों/शोक सभाओं आदि में प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूनतम व्यक्तियों को प्रतिभाग करने हेतु सहमत करना।
23. सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सार्वजनिक पेयजल स्रोतों तथा क्वारेन्टाइन किए गये घरों के आस–पास विसंक्रमण सुनिश्चित कराना।
24. कोविड–19 से सम्बन्धित जोखिम और उसके सुरक्षात्मक उपायों के विषय में समुदाय में एलान/डुगडुगी के माध्यम से जागरूकता सुनिश्चित करना।
25. कोविड–19 से सम्बन्धित किसी भी घटना की सूचना तत्काल जनपदीय नियंत्रण–कक्ष या टोल फ्री नम्बर **1800–180–5145** को प्रदान करना।

Scanned with CamScanner

26. बाहर से आए समस्त व्यक्तियों को 21 दिनों तक होम क्वारेन्टाइन में रखना सुनिश्चित करना तथा 21 दिन पूरा होने के बाद यदि कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता है तब उन्हें क्वारेन्टाइन मुक्त करना।
27. होम क्वारेन्टाइन समाप्त होने पर फ्लायर को घर से हटाना एवं ग्राम/मोहल्ले में इस बात का प्रचार करना कि उक्त व्यक्ति/परिवार का होम क्वारेन्टाइन समाप्त हो गया है।

ग्राम/मोहल्ले के भ्रमण के दौरान संकमण से बचाव के लिए निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सावधानियॉ बरती जाएंगी :–

- भ्रमण के समय मास्क, गमछा अथवा दुपट्टा आदि का प्रयोग तथा परिवार के सदस्यों से कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखना।
- भ्रमण से पूर्व एवं उपरान्त हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना।
- भ्रमण के समय दरवाजे अथवा दरवाजों के हैंडल अथवा बार–बार स्पर्श की जाने वाली अन्य सतहों को स्पर्श न करना तथा परिवार के सदस्यों को फोन से अथवा आवाज देकर सुरक्षित खुले स्थान पर वार्ता हेतु बुलाना।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

17.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1116 (1)/पॉच–5–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner